संख्या– 1887 / ।।–2008–03(08) / 2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी /
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला पंचायत, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

लघु सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांकः ०८ दिसम्बर, 2008

विषय : वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 189 / ।।–2007–03(08) / 2006, दिनांक 13.03.2007 के द्वारा एस0सी0एस0पी0 एवं टी0एस0पी0 की रूपये 1493.35 लाख लागत की 229 लघु सिंचाई योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से जनपद देहरादून की एस0सी0एस0पी0 की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि में से संलग्नक में अंकित योजनाओं के विरूद्ध उनके सम्मुख अंकित धनराशि रूपये 168.29 लाख (एक करोड़ अड़सठ लाख उन्तीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग शासनादेश संख्या 338 / ।।–2004 / 2005 दिनांक 31.03.2005 में निहित प्राविधानानुसार किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिए जाय।

4– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययिता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

5– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

6– मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार

क्रमशः..........2

निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला पंचायत) पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– विभागीय कार्य करने से पूर्व लघु सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उक्त त्रैमास में पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

10– इस धनराशि का व्यय माह मार्च, 2009 तक करना सुनिश्चित किया जाय।

11– प्रत्येक योजना के प्रारम्भिक स्तर पर शिलापट्ट लगाया जाय जिस पर योजना का नाम, योजना की लागत सहित सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–30 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 213(P)/XXVII-4/2008 दिनांकः 28 नवम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्याः 1887/II–2008–03(08)/06,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3– अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
11– बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–1887 / 11–2008–03(08) / 2006, दिनांकः 02 दिसम्बर, 2008 का संलग्नक।

एस0सी0एस0पी0

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक एवं योजना का नाम	विकास खण्ड	योजना की स्वीकृत लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6
	अनुदान सं0–30 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 800–अन्य व्यय 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान 0204–अनुसूचित जाति के लाभार्थ गूल, हौज तथा पाईप लाईन आदि का निर्माण 24–बृहत निर्माण कार्य				
	जनपद देहरादून				
1	सा0सिं0यो0 जीवनवाला फतेहपुर	डोईवाला	23.83	11.915	11.915
2	सा0सिं0यो0 धरमूचक	डोईवाला	11.22	5.610	5.610
3	सा0सिं0यो0 माजरी ग्रान्ट शेरगढ	डोईवाला	49.53	14.465	35.065
4	सा0सिं0यो0 नागल बुलन्दवाला दुधली	डोईवाला	11.31	5.655	5.655
5	सा0सिं0यो0 ज्वालापुर बड़ोवाला	डोईवाला	21.78	10.890	10.890
6	सा0सिं0यो0 माधोवाला सत्यावाला	डोईवाला	11.37	5.685	5.685
7	सा0सिं0यो0 ब्यासनहरी	कालसी	27.32	13.660	13.660
8	सा0सिं0यो0 छुल्टाड मध्ये	चकराता	11.87	5.935	5.935
9	सा0सिं0यो0 कोटा कुन्ना	चकराता	11.89	5.945	5.945
10	सा0सिं0यो0 थानाखेड़ा पडेसा	कालसी	6.50	3.250	3.250
11	सा0सिं0यो0 होडा पाटाछानी	चकराता	4.92	2.460	2.460
12	सा0सिं0यो0 लाखामण्डल	चकराता	7.88	3.940	3.940
13	सा0सिं0यो0 खेड़ामातली बगना	चकराता	8.54	4.270	4.270
14	सा0सिं0यो0 क्यारी खड्ड से बंडरसाखेड़ा (सिमोग)	चकराता	5.79	2.895	2.895
15	सा0सिं0यो0 सैंज तरानू हालीखेड़ा	चकराता	13.99	6.995	6.995
16	सा0सिं0यो0 खेड़ा बैरावा खाररी	चकराता	4.88	2.440	2.440
17	सा0सिं0यो0 टिमरा बागीखेड़ा	कालसी	3.82	1.910	1.910
18	सा0सिं0यो0 क्लेथा	चकराता	7.53	3.765	3.765
19	सा0सिं0यो0 सूल्लाखड से पुडिया	चकराता	8.99	4.495	4.495
20	सा0सिं0यो0 मदरसू	विकासनगर	19.68	9.840	9.840
21	सा0सिं0यो0 अणु	चकराता	19.76	9.880	9.880
22	सा0सिं0यो0 लावड़ी मध्ये	चकराता	11.76	5.880	5.880
23	सा0सिं0यो0 डागाखेड़ा म्यूढा	चकराता	11.82	5.910	5.910
	योग देहरादून		**315.98**	**147.69**	**168.29**

(रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख उन्तीस हजार मात्र)

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव